उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10
संख्या-158/2024/2828/24-27-10001(002)/5/2023-10
लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर, 2024

**विज्ञप्ति/पदोन्नति**

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के यान्त्रिक संवर्ग के अंतर्गत चयन वर्ष 2023-24 में पदोन्नति के माध्यम से नियमित चयन के उपरान्त लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्याः-51(3)/18/पी/एस-1(07)/2023-24, दिनांक 26.10.2024 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में श्री अनिल कुमार, अवर अभियन्ता (याँत्रिक) (ज्येष्ठता क्र0-713) को उनसे कनिष्ठ श्री ललित कुमार (ज्येष्ठता क्र0-714) की सहायक अभियन्ता (यां0) के पद पर पदोन्नति की तिथि 29.11.2023 से सहायक अभियन्ता (यां0) के पद (सादृश्य वेतनमान रू0 56100-177500/- सादृश्य मैट्रिक्स लेवल-10) पर नोशनल पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह-ख) सेवा नियमावली, 2007 के नियम-19 के आलोक में उपरोक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्तागण 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3- श्री अनिल कुमार अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर सहायक अभियन्ता (यां0) के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कार्यभार प्रमाणक की प्रति प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं शासन को उपलब्ध करायें।

4- श्री अनिल कुमार की पदस्थापना के आदेश पृथक् से बाद में निर्गत किए जाएंगे।

5- सहायक अभियन्ता (याँत्रिक) की परस्पर ज्येष्ठता का निर्धारण अलग से किया जाएगा।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

**संख्या-158/2024/2828(1)/24-27-10001(002)/5/2023-10-तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को उनके पत्र संख्याः-51(3)/18/पी/एस-1(07)/2023-24, दिनांक 26.10.2024 के सन्दर्भ में।
6- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वरि0स्टाफ अधिकारी (ई-10/11), कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- सम्बन्धित अधिकारीगण, द्वारा-प्रमुख अभियंता (यान्त्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
12- व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

इंद्रजीत सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।